मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई, 2023 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 12 जुलाई, 2023 (आषाढ़ 21, 1945)

समय 11.00 बजे दिन.

1. प्रश्नोत्तर.

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) **श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह, खनिज साधन मंत्री,** खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 के नियम 18 (3) की अपेक्षानुसार जिला खनिज प्रतिष्ठान जिला अनूपपुर का वर्ष 2019-2020, जिला शहडोल का वर्ष 2020-2021 एवं 2021-2022 तथा जिला सतना, सागर, धार, छिन्दवाड़ा, बालाघाट, रीवा एवं सीधी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

(2) **श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री,** कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का 20 वां वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2021-2022 पटल पर रखेंगे.

(3) **डॉ.मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री –**

(क) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 17 सन् 2007) के अन्तर्गत बनाये गये नियम, 2008 की धारा 22 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा संपरीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023, तथा

(ख) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 47 की अपेक्षानुसार रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022 पटल पर रखेंगे.

(4) **श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री,** कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार –

(क) एमपी इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड का 43 वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वित्तीय वर्ष 2019-2020, तथा

(ख) डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) **डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य,** माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन कराये जाने से कई छात्रों के फेल होने की ओर राज्यमंत्री स्कूल शिक्षा का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) **श्री सुखदेव पांसे, सदस्य,** मुलताई क्षेत्र में कृषकों को फसल बीमा की राशि कम दर से दिये जाने की ओर किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) **श्री रामपाल सिंह, सदस्य,** रायसेन जिले में संबल योजना के अंतर्गत स्वीकृत प्रकरणों की राशि न मिलने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) **श्री संजय यादव, सदस्य,** जबलपुर जिले के जनपद शहपुरा के अधीन पंचायतों में चल रहे निर्माण कार्यों में अनियमितता पर कार्यवाही न होने की ओर पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा.

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 204-इन्दौर-1 से निर्वाचित सदस्य, श्री संजय शुक्ला को विधान सभा के जुलाई, 2023 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति.

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सभापति, आवेदन एवं अभ्यावेदन समिति का आवेदनों से संबंधित इक्कीसवां, बाईसवां, तेईसवां, चौबीसवां एवं पच्चीसवां तथा अभ्यावेदनों से संबंधित पच्चीसवां, छब्बीसवां, सत्ताईसवां, अट्ठाईसवां, उनतीसवां एवं तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

6. आवेदनों की प्रस्तुति.

(1) **सुश्री चन्द्रभागा किराड़े, सदस्य,** बड़वानी जिले के ग्राम बंधारा अंतर्गत बन्धारेश्वर बैराज की स्वीकृति प्रदान करने,

(2) **श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी, सदस्य,** दमोह जिले के जबेरा अंतर्गत ग्राम महुआखेड़ा से माला तक मार्ग निर्माण कराये जाने,

(3) **श्री प्रहलाद लोधी, सदस्य,** पन्ना जिले के ग्राम सर्रा में लिरम्हा बांध का निर्माण कराये जाने,

(4) **श्री देवेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य,** रायसेन जिले के उदयपुरा अंतर्गत ग्राम पंचायत कैलकच्छ से माता मंदिर हरिजन टोला तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(5) **श्री मेवाराम जाटव, सदस्य,** भिण्ड जिले के गोहद अंतर्गत ग्राम पटकुईया का पुरा से शेरपुर तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(6) **कुं. रविन्द्र सिंह तोमर 'भिड़ौसा', सदस्य,** मुरैना जिले की चंबल, क्वारी, आसन व सिंध नदियों की बंजर भूमि पर उद्योग धंधे लगाकर चंबल क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराये जाने,

(7) **श्री राकेश गिरि, सदस्य,** टीकमगढ़ जिले अंतर्गत वान सुजारा बांध के पानी से ग्रामों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने,

(8) **श्री राकेश मावई, सदस्य,** मुरैना जिले के ग्राम धनेला में मजरों/टोलों पर विद्युत खम्बे लगाकर विद्युत सप्लाई चालू कराये जाने,

(9) **श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य,** भोपाल शहर के वार्ड क्र.-30 में विस्थापित रहवासियों एवं दुकानदारों को दुकानें व मुआवजा दिलाये जाने,

के संबंध में आवेदन प्रस्तुत करेंगे.

7. वर्ष 2023-2024 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन.

श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री, वर्ष 2023-2024 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

निर्धारित समय

8. शासकीय विधि विषयक कार्य.

30 मि.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, गृह मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) मध्यप्रदेश संशोधन विधेयक, 2023 (क्रमांक 7 सन् 2023) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 11 जुलाई, 2023.